फाइल नं0-71-1002/33/2023

125/2023/I/385423/2023

प्रेषक,

एस0 पी0 सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ:दिनांक 12 सितम्बर, 2023

विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजनान्तर्गत (पी0एम0एस0एस0वाई0) नवनिर्मित सुपर स्पेशियिलटी ब्लाक (भवन) में ई-हास्पिटल प्रणाली को क्रियान्वित किये जाने हेतु इलेक्ट्रानिक आडियो विजुअल सिस्टम क्रय की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर के पत्र संख्या-2919/एन0डी0/2023, दिनांक 29.05.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में शासनादेश दिनांक 09.05.2023 के क्रम में राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर में पी0एम0एस0एस0वाई0 योजनान्तर्गत ई-हास्पिटल प्रणाली को क्रियान्वित किये जाने हेतु इलेक्ट्रानिक आडियो-सिस्टम के स्थान पर इलेक्ट्रानिक आडियो-विजुअल सिस्टम अंकित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में शासनादेश संख्या-69/2023/I/312816/2023/71-1002/33/2023, दिनांक 09.05.2023 द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर में पी0एम0एस0एस0वाई योजना के अंतर्गत ई-हास्पिटल प्रणाली को क्रियान्वित किये जाने हेतु उपकरण/ फोटो कापी मशीन इत्यादि के क्रय हेतु कुल रू0 1,81,80,000/- की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में प्रधानाचार्य, कानपुर के उपरिसन्दर्भित पत्र दिनांक 29.05.2023 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकीय मेडिकल कालेज , कानपुर में पी0एम0एस0एस0वाई0 योजना के अंतर्गत ईहास्पिटल प्रणाली- को क्रियान्वित किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 09.05.2023 में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त शासनादेश के संलग्नक-2 की तालिका के क्रम संख्या-4 एंव 5 में उल्लिखित इलेक्ट्रानिक आडियो सिस्टम के स्थान पर इलेक्ट्रानिक आडियोविजुअ-ल सिस्टम को क्रय किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- शासनादेश संख्या-69/2023/I/312816/2023/71-1002/33/2023, दिनांक 09.05.2023 में उल्लिखित शर्ते/प्रतिबन्ध यथावत् रहेगी।

भवदीय,

(एस0 पी0 सिंह),
उप सचिव

संख्या/तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर।
4. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।
6. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0 पी0 सिंह),
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।